

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ)बाडमेर

क्रमांक रीडर/2025/ 9857

पीठारीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 16.12.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 वगताराम 2 ठाकराराम पिसरान गेनाराम
3 केसी देवी पत्नि गेनाराम जाति जाट
निवासी रूगोणी हुडों की ढाणी सरली
तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

1 अमियों देवी पत्नि वीरमपुरी वगैराह जाति
स्वामी निवासी रूगोणी हुडों की ढाणी
सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला
बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-650/2025

दिनांक- 02/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रूगोणी हुडों की ढाणी पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर
ग्रामीण जिला बाडमेर कखसरा संख्या 303 रकबा 0.0890 हैक्टियर व खसरा संख्या 648/304
रकबा 31.2660 हैक्टियर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु
तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक
तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

दिनांक- 16.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9858-61

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण वगताराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी रूगोणी हुडों की ढाणी सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण अमियों देवी पत्नि वीरमपुरी वगैराह जाति स्वामी निवासी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर